

ग्राहक जानकारी ब्रोशर

- **“बचत खाता”** उन व्यक्तियों / संस्थाओं के लिए एक ऑपरेटिव बैंकिंग खाता है, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बचत खाता खोलने के लिए विशेष रूप से अनुमति दी गई है। कुछ विशेष गैर लाभकारी कल्याण संगठनों को भी बैंकों में बचत खाते खोलने की अनुमति होती है। बचत खाते में शेष राशि पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दर से ब्याज का भुगतान किया जाता है। बचत खाता खोलने के पात्र व्यक्तियों, इकाईओं में आवासी और प्रवासी भारतीय व्यक्ति, न्यास, सोसायटियां, कम्पनी अधिनियम की धारा २५ के अन्तर्गत कम्पनियां शामिल हैं। कुछ विशेष सरकारी इकाइयां, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित कुछ विशेष शर्तें पूरी करने पर बचत खाता खोल सकती हैं।
- **“चालू खाता”** यह एक ऑपरेटिव बैंकिंग खाता होता है जिसका इस्तेमाल सभी पात्र इकाइयां कर सकती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित चालू खाते में रखी गई शेष राशि पर किसी ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है।
- **“सावधि जमा”** यह नियत अवधि के लिए बैंक को प्राप्त एक जमा राशि होती है। ब्याज का भुगतान राशि जमा करने के समय नियत की गई दर पर किया जाता है। सावधि जमा में तिमाही जमा राशि, मासिक जमा राशि और संचयी जमा राशि जैसी जमा राशियां शामिल हैं। सभी इकाइयां सावधि जमा खाता खोलने के लिए पात्र हैं, जब तक कि कानून या नियामक संवैधानिक दिशानिर्देशों द्वारा विशेष रूप से प्रतिबंधित न किया गया हो।
- **“आवर्ती जमा”** यह ऐसी जमा राशि होती है जिसमें नियमित आय वाले लोग अपने आवर्ती जमा खाते में प्रत्येक माह एक नियत राशि जमा कर सकते हैं और सावधि जमा पर देय ब्याज दर से ब्याज पा सकते हैं। यह मासिक किस्तों में, जैसे प्रत्येक माह १०००/- रुपये की विशेष राशि की आवर्ती जमा करने जैसा है। यह जमा राशि प्रत्येक माह अदा की गई सभी किस्तों के साथ भविष्य में किसी विशिष्ट तिथि को बैंक द्वारा देय हो जाती है। इस प्रकार आवर्ती जमा स्कीम से ग्राहकों को एक नियत समयावधि में नियत राशि की नियमित मासिक जमा राशियों से अपनी बचत बढ़ाने का अवसर मिलता है।
- अपने वित्तीय समावेशन प्रयास के भाग के रूप में हमारा बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वित्तीय समावेशन बैंकिंग सेवाओं की सुलभता के मौजूदा दिशा निर्देशों के अन्तर्गत अपनी सभी शाखाओं में “मूल बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए)” एवं “लघु खाता” खोलता है। इसके अलावा, विनियमों के अनुसार बीएसबीडीए एवं लघु खाते की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

पैरामीटर	बीएसबीडीए	लघु खाता
केवाईसी आवश्यकताएं	• सम्पूर्ण केवाईसी	• रियायत प्राप्त केवाईसी
विशेषताएँ	<ul style="list-style-type: none"> • न्यूनतम शेष रखना आवश्यक नहीं • असीमित संख्या में निःशुल्क लेनदेन के साथ नकद जमा परन्तु यह लेनदेन प्रतिमाह अधिकतम १ लाख रुपये है। • एक माह में शाखा से ४ बार निःशुल्क आहरण • गैर कोटक एटीएम में ५ बार निःशुल्क लेनदेन • सम मूल्य पर चेक बुक • निःशुल्क फोन बैंकिंग • नेट बैंकिंग (वैकल्पिक) - प्रभार प्रति कैलेंडर तिमाही ७५/- रुपये की दर से देय 	<ul style="list-style-type: none"> • न्यूनतम शेष रखना आवश्यक नहीं • कितनी ही बार निःशुल्क लेनदेन के साथ नकद जमा परन्तु यह लेनदेन एक वित्त वर्ष में अधिकतम १ लाख रुपये है। • एक माह में शाखा से ४ बार निःशुल्क आहरण • गैर कोटक एटीएम में ५ बार निःशुल्क लेनदेन • सम मूल्य पर चेक बुक • निःशुल्क फोन बैंकिंग • नेट बैंकिंग उपलब्ध नहीं

प्रतिबंध / सीमाएं	<ul style="list-style-type: none"> • ऐसे सभी लेनदेन किए जा सकते हैं जिनकी अन्य बचत खाते के अन्तर्गत अनुमति है। • बीएसबीडीएधारक, बैंक में एक साथ अतिरिक्त अन्य बचत खाता नहीं खोल सकता। लेकिन, वह अपने खाते के दर्ज को बढ़ाकर सामान्य बचत खाता करवा सकता है। • यदि मौजूदा बचत खाता धारक बीएसबीडीए खोलता है तो इसे बीएसबीडीए खोलने के ३० दिन के अन्दर मौजूदा बचत खाता बंद करना होगा। 	<ul style="list-style-type: none"> • एक वित्त वर्ष में सभी जमा की गई राशि १००,०००/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए • खाता शेष ५०,००० रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए • एक माह में सभी जमा की जाने की राशि १०,०००/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए • विदेशी मुद्रा में लेनदेन की अनुमति नहीं है। • लघु खाताधारक, बैंक में एक साथ अतिरिक्त अन्य बचत खाता नहीं खोल सकता। लेकिन केवाईसी की अपेक्षा पूरी करने पर वह अपने खाते के दर्ज को बढ़ाकर बीएसबीडीए /अन्य बचत खाता कर सकता है। • यदि मौजूदा बचत खाता धारक लघु खाता खोलता है तो इसे लघु खाता खोलने के ३० दिन के अन्दर मौजूदा बचत खाता बंद करना होगा।
-------------------	--	--

• बैंक, कानूनी अभिभावक प्रमाणपत्र के आधार पर ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के खाते खोलता है। यह प्रमाण पत्र मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम १९८७ के अन्तर्गत जिला न्यायालय या ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहुविकलांग व्यक्ति अधिनियम, १९९९ के संबंध में राष्ट्रीय न्यास के अन्तर्गत गठित स्थानीय स्तर की समितियों द्वारा जारी किया जाता है। ऐसे खाते खोलने हेतु अपेक्षित प्रमाण पत्र के लिए कानूनी अभिभावक, स्थानीय स्तर की समितियों में जा सकते हैं। स्थानीय स्तर की समिति का पता राष्ट्रीय न्यास की वेबसाइट <http://www.thenationaltrust.in> से या आपके निकटतम शाखा से लिया जा सकता है। आगे ऐसे व्यक्तियों के खाते किसी कानूनी अभिभावक प्रमाणपत्र के बिना भी खोले जा सकते हैं जो कि ग्राहक की ओर से इस सत्यापन के अधीन होगा कि वह अपने आर्थिक विषयों की सार-संभाल स्वयं करने में सक्षम है या कर सकता/सकती है।

• उपरोक्त सभी खातों का विवरण हमारी सभी शाखाओं में उपलब्ध है और इसे हमारे बैंक की वेबसाइट से भी लिया जा सकता है।

• बैंक कोई भी जमा खाता खोलने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी “अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)” दिशा निर्देशों और /या बैंक द्वारा तैयार अन्य ऐसे मानदंडों या प्रक्रियाओं के अन्तर्गत यथा अपेक्षित उचित सावधानी बरतेगा।

• बैंक द्वारा भावी जमाकर्ता को खाता खोलने का फार्म उपलब्ध करवाया जाएगा। बैंक कर्मों प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताएं समझाएगा और वह इस भावी जमाकर्ता के जमा खाते खोलने के लिए बैंक आने पर इसके द्वारा मांगी गई आवश्यक जानकारी देगा। भावी जमाकर्ता द्वारा खाता खोलने का फार्म पूरी तरह और ठीक से भरा जाना चाहिए।

• बचत खाता और चालू खाता जैसे जमा उत्पादों के संबंध में ऐसे खातों के इस्तेमाल को शासित करने वाले निबंधन एवं शर्तों के भाग के रूप में खोले गए खाते की किस्म के अनुसार हमेशा कुछ विशेष औसत तिमाही शेष (एक्यूबी) / औसत मासिक शेष (एएमबी) रखा जाना आवश्यक है। खाते में उपरोक्त विशेष एक्यूबी/एएमबी न रखे जाने पर, शेष न रखे जाने का प्रभार (एनएमसी) लिया जाएगा।

• प्रभारों की अनुसूची बैंक की वेबसाइट (www.kotak.com) पर तथा शाखा परिसर में उपलब्ध है।

• बचत बैंक खाते पात्र व्यक्ति/व्यक्तियों तथा कुछ विशेष संगठनों के लिए खोले जा सकते हैं (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर)

• चालू खाते व्यक्तियों /साझेदार फर्मों/प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों / हिंदू संयुक्त परिवारों/ विनिर्दिष्ट एसोसिएशनों /सोसायटियों /न्यासों आदि द्वारा खोले जा सकते हैं।

- सावधि जमा खाते व्यक्तियों / साझेदार फर्मों / प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों / हिंदू संयुक्त परिवारों / विनिर्दिष्ट एसोसिएशनों / सोसायटियों / न्यासों आदि द्वारा खोले जा सकते हैं।
- जमा खाता खोलते समय उचित सावधानी बरतने की प्रक्रिया में संबंधित व्यक्ति की पहचान की संतुष्टि, पते का सत्यापन, इसके व्यवसाय / क्रियाकलाप के स्तर, आय के स्रोत आदि की संतुष्टि की जाएगी। बैंक ऐसे किसी व्यक्ति से भावी जमाकर्ता के परिचय की मांग कर सकता है जो बैंक को स्वीकार्य हो। बैंक उचित सावधानी बरतने की प्रक्रिया के भाग के रूप में खाता खोलने / इसका इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति का नवीनतम फोटो मांगेगा।
- उचित सावधानी बरतने की अपेक्षा के अलावा केवाईसी मानदण्डों के अन्तर्गत बैंक आयकर अधिनियम / नियमों के अन्तर्गत यथा विनिर्दिष्ट स्थायी खाता नम्बर (पैन) या विकल्प के रूप में फार्म नंबर ६० या ६१ में घोषणा दिए जाने की मांग करेगा।
- बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित मौजूदा ग्राहकों के बारे में सामान्य जानकारी (प्रोफाइल) की समीक्षा करते समय विशेष समय अन्तरालों पर नए या अतिरिक्त केवाईसी दस्तावेजों की मांग करेगा।

एकल व्यक्ति खाता

ये जमा खाते ऐसे एकल व्यक्ति द्वारा खोले और इस्तेमाल किए जा सकते हैं जिसकी आयु १८ वर्ष से अधिक हो।

संयुक्त खाता

दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपने नाम से खोले गए जमा खाते को संयुक्त खाता कहा जाता है।

संयुक्त खाते का इस्तेमाल

एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा खोले गए संयुक्त खाते का इस्तेमाल निम्नलिखित पद्धति से किया जा सकता है।

दोनों में से कोई भी या उत्तरजीवी

यह पद्धति दो व्यक्तियों द्वारा धारित खाते पर लागू होती है। इस पद्धति में खाते का इस्तेमाल खाता धारकों में से किसी भी व्यक्ति द्वारा या उत्तरजीवी (खाता धारकों में से किसी एक की मृत्यु होने या इसके पागल होने की स्थिति में) द्वारा किया जा सकता है।

कोई भी या उत्तरजीवी

यह पद्धति दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा धारित खाते पर लागू होती है। इस पद्धति में खाते का इस्तेमाल खाता धारकों में से किसी भी व्यक्ति द्वारा या उत्तरजीवी (उत्तरजीवियों) (खाता धारकों में से किसी एक की मृत्यु होने या उसके पागल होने की स्थिति में) द्वारा किया जा सकता है।

संयुक्त रूप से

इस पद्धति में खाते का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब सभी खाता धारकों ने हस्ताक्षर किए हों।

खाते का इस्तेमाल करने के अधिदेश में सभी खाता धारकों की सहमति से परिवर्तन किया जा सकता है।

अवयस्क द्वारा माता-पिता / अभिभावक के साथ मिलकर खोले गए बचत बैंक खाते का इस्तेमाल केवल माता पिता द्वारा किया जा सकता है।

संयुक्त खाता धारक उपरोक्त खातों में शेष के भुगतान के लिए निम्नलिखित में से कोई भी अधिदेश दे सकता है :

- दोनों में से कोई भी या उत्तरजीवी : यदि खाता दो व्यक्तियों के नाम से है जैसे 'क' और 'ख' तो दोनों में से किसी भी खाता धारक की मृत्यु होने पर अन्त में बचे शेष और इस पर ब्याज़, यदि लागू हो, का भुगतान उत्तरजीवी को किया जाएगा।
- कोई भी या उत्तरजीवी : यदि खाता दो से अधिक व्यक्तियों के नाम से है जैसे 'क', 'ख' और 'ग' तो किन्हीं दो खाताधारकों की मृत्यु होने पर अन्त में बचे शेष और इस पर ब्याज़, यदि लागू हो, का भुगतान उत्तरजीवी को किया जाएगा।
- पहले नाम वाला / उत्तरजीवी: केवल वही खाता धारक खाते का इस्तेमाल कर सकता है जिसका नाम खाते में पहले हो और इस धनराशि पर इसका पूर्ण अधिकार होगा। उत्तरजीवी के अधिकार केवल पहले नाम वाले की मृत्यु के बाद ही चालू होते हैं।

- बाद में नाम वाला / उत्तरजीवी: केवल वही खाता धारक खाते का इस्तेमाल कर सकता है जिसका नाम खाते में बाद में हो और इस धनराशि पर इसका पूर्ण अधिकार होगा। उत्तरजीवी के अधिकार केवल पहले नाम वाले की मृत्यु के बाद ही चालू होते हैं।

संयुक्त खाता धारकों के नाम / नामों को शामिल करना / हटाना

बैंक, सभी खाता धारकों के अनुरोध पर और परिस्थितियों की मांग होने पर संयुक्त खाता धारकों के नाम / नामों को शामिल करने / हटाने की अनुमति दे सकता है या किसी भी जमाकर्ता को संयुक्त खाता धारक के रूप में अन्य व्यक्ति का नाम शामिल करवाने की अनुमति दे सकता है।

अवयस्क के खाते

अवयस्क के नाम खाता माता-पिता द्वारा खोला जा सकता है और इन्हीं के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वयस्क होने पर, पहले के अवयस्क को अपने खाते में शेष की पुष्टि करनी चाहिए और यदि इस खाते का इस्तेमाल माता-पिता / अभिभावक द्वारा किया जा रहा है तो माता-पिता द्वारा विधिवत सत्यापित पहले के अवयस्क के नए हस्ताक्षर लिए जाएंगे और इन हस्ताक्षरों को, अवयस्क से वयस्क की अवस्था में आने वाले आवेदक के लागू केवाईसी दस्तावेजों के साथ खाते के इस्तेमाल के सभी प्रयोजनों के लिए रिकार्ड में रखा जाएगा।

निरक्षर / दृष्टिहीन व्यक्ति का खाता

बैंक अपने विवेक पर चालू खाता छोड़कर निरक्षर व्यक्ति का जमा खाता खोल सकता है। ऐसे व्यक्ति का खाता तभी खोला जा सकता है जब वह ऐसे गवाह के साथ व्यक्तिगत रूप से बैंक में आए जिसे जमाकर्ता और बैंक दोनों जानते हों। सामान्यतया, ऐसे बचत बैंक खातों के लिए कोई चेक बुक सुविधा नहीं दी जाती है। खाते में जमा राशि और / या ब्याज निकालने / डालने के समय, खाताधारक इस अधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में अपने अंगुठे की छाप या निशान लगाएगा / लगाएगी जो संबंधित व्यक्ति की पहचान का सत्यापन करेगा। बैंक अधिकारी निरक्षर / दृष्टिहीन व्यक्ति को, खाते पर लागू निबंधन एवं शर्तें समझाएगा।

मुख्तारनामा

जमाकर्ता के अनुरोध पर, बैंक, इस जमाकर्ता द्वारा दिए गए अधिदेश / मुख्तारनामे को पंजीकृत करेगा जिसमें इसकी ओर से खाते का इस्तेमाल करने के लिए अन्य व्यक्ति को अधिकार देने का उल्लेख होगा।

नामांकन सुविधा

व्यक्तियों द्वारा खोले गए सभी जमा खातों पर नामांकन सुविधा उपलब्ध है। एकल स्वामित्व प्रतिष्ठान खाते के लिए भी नामांकन सुविधा उपलब्ध है। नामांकन केवल एक ही व्यक्ति के नाम किया जा सकता है। खाता धारक इस प्रकार किए गए नामांकन को किसी भी समय रद्द कर सकता है या इसमें परिवर्तन कर सकता है। नामांकन, करते समय इसे रद्द या इसमें परिवर्तन करते समय किसी अन्य व्यक्ति का उपस्थित होना आवश्यक है। खाता धारक की सहमति से नामांकन में संशोधन किया जा सकता है। किसी अवयस्क के नाम भी नामांकन किया जा सकता है। यह सिफारिश की जाती है कि सभी अलग-अलग जमाकर्ता नामांकन सुविधा का लाभ उठाएं ताकि जमाकर्ता / जमाकर्ताओं की मृत्यु होने की स्थिति में नामिती को देय राशि का भुगतान करना आसान हो जाए। जमाकर्ता / जमाकर्ताओं की मृत्यु हो की स्थिति में, नामिती को कानूनी वारिसों के एक न्यासी के रूप में खाते में बकाया शेष का भुगतान किया जाएगा। खाता खोलने के समय जमाकर्ता को नामांकन सुविधा के लाभों की जानकारी दी जाएगी। टू-वे स्वीप सुविधा (ऐक्टिव मनी) के माध्यम से खोली गई सावधि जमा के संबंध में, बचत / चालू खाते में नामांकन माना जाएगा।

चेक बुक और चेक

बैंक, बचत, चालू या ओवर ड्राफ्ट खाता धारकों को ऐसे देय प्रभारों पर चेक बुक जारी कर सकता है जो बैंक द्वारा प्रदर्शित किए जाएं। ग्राहक को चेक बुक इसके डाक पते पर भेजी जाएगी। बैंक अपने विवेक से कानून के अनुसार कुछ विशेष ग्राहकों को 'एट पार' चेक बुक दे सकता है।

बैंक चालू बचत या ओवर ड्राफ्ट खाता धारक किसी भी व्यक्ति को इस स्थिति में नई चेक बुक जारी करने से मना कर सकता है जब इस व्यक्ति के खाते में पर्याप्त निधियां उपलब्ध न होने के कारण एक वित्त वर्ष के दौरान चार या इससे अधिक बार इसके एक करोड़ रूपए या इससे अधिक राशि के चेक अस्वीकार कर दिए गए हों। साथ ही, बैंक अपने विवेक से चालू खाता बंद करने पर विचार कर सकता है।

बैंक को चेक के बार-बार अस्वीकार किए जाने / एक माह में बैंक द्वारा निर्धारित चेक बुक की मूल सीमा से अधिक चेक जारी करने की स्थिति में चेक बुक देना बंद करने का अधिकार सुरक्षित होगा। (एकल खाता - १०० से अधिक, कम्पनी / फर्म खाता ५०० से अधिक)।

ग्राहक चेक में इस प्रकार विवरण भरे कि इसे जारी करने के बाद इसमें किसी परिवर्तन की जरूरत न पड़े और ग्राहक के हस्ताक्षर बैंक के रिकार्ड में दिए इसके हस्ताक्षर से मिलने चाहिए। चेक में किसी परिवर्तन को ग्राहक द्वारा इसके सामने हस्ताक्षर करके अधिप्रमाणित किया जाना आवश्यक है। बैंक को किसी भी तरह के परिवर्तन वाले चेकों का तब तक भुगतान करने से मना करना का अधिकार सुरक्षित होगा जब तक कि इन परिवर्तन के सामने ग्राहक द्वारा अपने पूर्ण हस्ताक्षर से इसे अधिप्रमाणित न कर दिया गया हो और इसके हस्ताक्षर बैंक के रिकार्ड में उपलब्ध इसके हस्ताक्षर से नहीं मिलते हों खाते का विवरण बैंक, खाता खोलने के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार बचत बैंक और चालू जमा खाता धारकों को समय-समय पर खाते का विवरण उपलब्ध करवाएगा।

खाते का विवरण

बैंक, खाता खोलने के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार बचत बैंक और चालू जमा खाता धारकों को समय-समय पर खाते का विवरण उपलब्ध करवाएगा।

पास बुक सुविधा

ग्राहक के विशेष अनुरोध पर, बैंक अलग-अलग ग्राहकों को पास बुक सुविधा प्रदान करेगा। पास बुक सुविधा प्राप्त करने वाले ग्राहकों को प्रभारों की सामान्य अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट प्रभारों पर खाता विवरण उपलब्ध करवाया जाएगा।

सीधे नामे डालना और स्थायी निर्देश

यह ऐसी भुगतान प्रणाली है जिसके अनुसार ग्राहक, बैंक के रूप में हमें यह निर्देश दे सकता है कि हम नियमित भुगतान करें जैसे एक खाते से दूसरे खाते में धनराशि का अन्तरण, लॉकर के किराए का भुगतान, क्रेडिट कार्ड भुगतान, जीवन बीमा भुगतान या किसी नियत लाभार्थी को अन्य कोई आवधिक भुगतान। इसके अलावा, इस सुविधा से ग्राहकों को चेक काटने के झंझट से मुक्ति मिल जाती है।

इस सेवा का लाभ उठाने के लिए आपके सीधे नामे डाले जाने के निर्देश को सफलतापूर्वक लागू किया जाना ज़रूरी है।

औसत तिमाही / मासिक शेष

एक्यूबी - औसत तिमाही शेष से अभिप्राय तीन कैलेंडर महीनों में ग्राहक द्वारा रखे गए औसत शेष से है।

एएमबी - औसत मासिक शेष से अभिप्राय तीन कैलेंडर महीनों में ग्राहक द्वारा रखे गए औसत शेष से है।

एक्यूबी - एएमबी की गणना इस प्रकार की जाती है : एएमबी - माह या तिमाही में प्रत्येक दिन के अंतिम शेष की राशि / (इस माह या तिमाही में दिनों की संख्या)

बचत खाते में ब्याज़ भुगतान

बचत बैंक खाते पर ब्याज़ के भुगतान की गणना दैनिक उत्पाद के आधार पर की जाती है।

१ अप्रैल २०१६ को प्रभावित, बचत बैंक खाता की शेष राशि पर अर्जित ब्याज़ को बचत खाते में तिमाही आधार पर जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च में जमा किया जायेगा।

बचत खाते पर ब्याज़ की दर निम्नानुसार है:

खाते में शेष जमा राशि	ब्याज़-दर
रु. ५० लाख के बराबर या उससे कम	३.००% प्रति वर्ष
रु. ५० लाख से ज्यादा	३.५०% प्रति वर्ष

उदाहरण के लिए :

दिन के अंत में खाते में शेष जमा राशि : = रु. ५५,००,०००

- रु. ५० लाख के बराबर या उससे कम शेष जमा राशि पर नियत ब्याज - ३.००% प्रति वर्ष
- रु. ५० लाख से ज्यादा शेष जमा राशि पर नियत ब्याज - ३.५०% प्रति वर्ष

यहां दिन के लिए देय ब्याज की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

$$(५०,००,००० * ३.००\% * १/३६५) + (\{५५,००,००० - ५०,००,०००\} * ३.५०\% * १/३६५)$$

*इस समय भारतीय रिजर्व बैंक ने बचत खातों पर ब्याज़ दर से विनियमन हटा लिया है जिसमें समय-समय पर परिवर्तन किया जा सकता है।

सावधि जमा में ब्याज़ भुगतान

यदि किसी व्यक्ति द्वारा धारित सभी सावधि जमा राशियों पर अदा किए गए /देय कुल ब्याज़ की राशि आयकर अधिनियम के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट राशि से अधिक हो जाती है तो बैंक का यह सांविधिक दायित्व है कि वह उक्त ब्याज़ की राशि पर देय आयकर की कटौती करे। बैंक काटे गए कर की राशि का कर कटौती प्रमाण पत्र (टीडीएस सर्टिफिकेट) जारी करेगा। यदि जमाकर्ता टीडीएस से छूट का पात्र है तो इसे प्रत्येक वित्त वर्ष में शुरू में निर्धारित प्रपत्र में घोषणा प्रस्तुत करनी होगी ताकि इसका कोई टीडीएस न काटा जाए।

ऐक्टिव मनी (टू वे स्वीप जमा राशियां) के संबंध में वरिष्ठ नागरिक / बैंक स्टाफ सहित सभी ग्राहकों के लिए नियमित सावधि जमा दरें लागू होंगी।

जमा राशि का पुनः निवेश करने पर सावधि जमा पर तिमाही शेष पर ब्याज़ की गणना चक्रवृद्धि ब्याज़ के रूप में की जाएगी बशर्ते कि इन जमा राशियों को कम से कम १८१ दिनों या इससे अधिक की अवधि के लिए बैंक में ही रखा गया हो। १८१ दिनों की अवधि से कम की परिपक्वता अवधि पूरी होने पर देय ब्याज़ की गणना साधारण ब्याज़ दर से की जाएगी।

सावधि जमा पर ब्याज़ की गणना की विधि।

मासिक ब्याज़ भुगतान विकल्प

सावधि जमा पर मासिक ब्याज़ के लिए ब्याज़ की दर मानक दर से कम होगी।

ब्याज़ का भुगतान जमा की तिथि से मासिक अन्तरालों पर किया जाएगा। उदाहरण के लिए १५ फरवरी, २००८ को बुक की गई जमा राशि पर ब्याज़ का भुगतान १५ मार्च, २००८ को किया जाएगा।

किसी नॉन-लीप वर्ष में बुक डिपॉज़िट के लिए ब्याज़ की गणना का आधार ३६५ दिन का होगा और लीप (कैलेंडर)वर्ष में बुक किये गये आवधिक जमा के लिए एक वर्ष में ३६६ दिन होगा।

तिमाही ब्याज़ भुगतान विकल्प ब्याज़ का भुगतान जमा की तिथि से तिमाही अन्तरालों पर किया जाएगा। उदाहरण के लिए १५ फरवरी, २००८ को बुक की गई जमा राशि पर ब्याज़ का भुगतान १५ मार्च, २००८ को किया जाएगा।

किसी नॉन-लीप वर्ष में बुक डिपॉज़िट के लिए ब्याज़ की गणना का आधार ३६५ दिन का होगा और लीप (कैलेंडर)वर्ष में बुक किये गये आवधिक जमा के लिए एक वर्ष में ३६६ दिन होगा।

संचयी ब्याज़ भुगतान विकल्प संचयी जमा राशि के अन्तर्गत, तिमाही अन्तरालों पर ब्याज़ की गणना चक्रवृद्धि ब्याज़ के रूप में की जाती है। उदाहरण के लिए, किसी तिमाही में अर्जित ब्याज़ को, अगली तिमाही में ब्याज़ की गणना करने के लिए मूलधन में शामिल कर दिया जाता है। तिमाही ब्याज़ की गणना करने का तरीका वही है जो तिमाही ब्याज़ भुगतान विकल्प का है।

उदाहरण के लिए

तिमाही	मूलधन राशि	ब्याज़	आगामी तिमाही के लिए मूलधन तिमाही
१	१००	२	१०२
२	१०२	२.०४	१०४.०४
३	१०४.०४	२.०८	१०६.१२

जमा राशि की परिपक्वता अवधि पूरी होने तक इसी प्रकार आगामी तिमाहियों की गणना की जाती रहेगी। उपरोक्त उदाहरण में टीडीएस के प्रभाव का उल्लेख नहीं है। यदि जमा राशि की अवधि १८१ दिन या दो तिमाही से कम है तो जमा पर संचयी ब्याज़ नहीं दिया जाता है।

वरिष्ठ नागरिक सावधि जमा (६० वर्ष या इससे अधिक)

बैंक, वरिष्ठ नागरिकों द्वारा सावधि जमा में रखी गई राशियों पर समय-समय पर यथाघोषित अधिक ब्याज़ देता है। बैंक, वरिष्ठ नागरिकों द्वारा सावधि जमा में रखी गई राशि से संबंधित सभी लागू आयकर नियमों के अनुसार कार्रवाई भी करेगा।

आय से कर की कटौती (टीडीएस)

जब वित्त वर्ष के दौरान जमाकर्ता को देय ब्याज़ के मूल सीमा से अधिक होने की संभावना हो तो आयकर अधिनियम १९६१ में यथा विनिर्दिष्ट आय से कर की कटौती की जाएगी। इस समय यह मूल सीमा ४०,०००/- रुपये है। आय से कर की कटौती की दर आयकर अधिनियम में यथा निर्धारित होगी।

आय से कर की कटौती से छूट

आय से कर की कटौती में छूट, आयकर अधिनियम में विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार निम्नलिखित फार्म प्रस्तुत करके प्राप्त की जा सकती है।

फार्म १५ जी यह एक घोषणा होती है जिसमें यह उल्लेख किया जाता है कि जमाकर्ता की आय से कर की कटौती होने की संभावना नहीं है और इसलिए वह आय से कर की कटौती से छूट प्राप्त करना चाहेगा। फार्म १५ जी वरिष्ठ नागरिकों को छोड़कर एकल व्यक्ति या व्यक्ति (जो कम्पनी या फर्म नहीं है) के लिए है।

फार्म १५ एच यह एक घोषणा होती है जिसमें यह उल्लेख किया जाता है कि जमाकर्ता की आय से कर की कटौती होने की संभावना नहीं है और इसलिए वह आय से कर की कटौती से छूट प्राप्त करना चाहेगा। फार्म १५ एच आवासीय व्यक्तियों, जो वरिष्ठ नागरिक हैं अर्थात् ऐसे एकल व्यक्ति जिनकी आय ६० वर्ष या इससे अधिक है, के लिए है।

आयकर अधिकारी से छूट का प्रमाणपत्र - फार्म १५ ए ए आय कर अधिनियम में इस बात का भी उल्लेख है कि यदि इस धारा में उल्लिखित किसी भी आय जिसे गत वित्त वर्ष के दौरान जमा डाला गया हो / अदा किया गया हो या जिसके जमा डाले जाने / अदा किए जाने की संभावना हो, की राशि / राशियों का कुल योग इस अधिकतम राशि, जिस पर कर देय नहीं बनता, से अधिक हो तो आय से कर की कटौती से छूट के प्रावधान लागू नहीं होते हैं और कर निर्धारिती फार्म १५ जी में घोषणा प्रस्तुत करने का पात्र नहीं है। ऐसे मामलों में आयकर अधिकारी द्वारा जारी विशिष्ट छूट का पत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। यदि न्यास / सोसायटी आदि जैसी संस्थाओं, जिन्हें आय कर से छूट प्राप्त है, को वित्त वर्ष के दौरान अदा किए गए या अदा किए जाने वाले संभावित ब्याज के इस अधिकतम राशि, जिस पर कर देय नहीं बनता, से अधिक होने की संभावना हो तो इन संस्थाओं को ऐसा पत्र/फार्म १५ ए ए प्रस्तुत करना होगा।

सावधि जमा का परिपक्वता तिथि से पहले आहरण

ग्राहक, सावधि जमा राशि को परिपक्वता तिथि से पहले आंशिक रूप से / पूर्णतया निकाल सकता है। इसे परिपक्वता तिथि से पहले सावधि जमा की राशि निकालने पर ब्याज का भुगतान, इस अवधि, जब तक सावधि जमा बैंक के पास रही, के लिए जमा की तिथि को प्रचलित दर या संविदागत दर, जो भी कम हो, से १ नवंबर, २०१२ को या इसके बाद बुक / नवीकृत की गई सावधि जमा राशियों पर नीचे दिए अनुसार जमा राशि को परिपक्वता तिथि से पहले निकालने के लागू दंड प्रभार लेने के बाद किया जाएगा।

सावधि जमा की अवधि	दंड
१८१ दिन से कम	शून्य
१८१ दिन और इससे अधिक	०.५० प्रतिशत

[उदाहरण के लिए : मान लो कि सावधि जमा की राशि १५ लाख रुपये है, १-२ वर्ष के लिए दर १० प्रतिशत और २-३ वर्ष के लिए दर ९.५० प्रतिशत है और ग्राहक २ वर्ष १ दिन (अर्थात् ९.५० प्रतिशत की दर से) के लिए जमा बुक करता है। यदि ग्राहक १ वर्ष बाद सावधि जमा भुनाता है तो ब्याज का भुगतान ९ प्रतिशत की दर (संविदागत दर / इस अवधि के लिए लागू दर, जिसके लिए जमा रखी गई थी, से कम दर और ०.५० प्रतिशत दंड प्रभार की कटौती) से किया जाएगा। परिपक्वता तिथि से पहले जमा राशि को आंशिक रूप से भुनाने पर, शेष राशि पर ब्याज, मूल जमा की संविदा की तिथि को प्रचलित दर के अनुसार दिया जाता रहेगा।]

बचत / चालू खाते से जुड़ी १८१ दिन और इससे अधिक अवधि की अकेली सावधि जमा राशि पर नियमित स्वीप जमा क्रियाशीलता के अनुसार ब्याज दिया जाएगा और दंड प्रभार यथा उपरोक्त लागू होंगे।

सावधि जमा राशियों का भुगतान / नवीकरण

जमा राशि बुक करते समय इसकी परिपक्वता तिथि और भुगतान संबंधी निर्देश दिए जाने अनिवार्य हैं। ग्राहक को, बैंक में रखे गए इसके चालू / बचत खाते में भुगतान प्राप्त करने या बैंक से इसके पास पंजीकृत डाक पते पर भुगतान का डीडी / बीसी भेजने का अनुरोध करने का विकल्प होगा। ग्राहक जमा राशि की अवधि के दौरान कभी भी परिपक्वता तिथि संबंधी निर्देशों में परिवर्तन कर सकता है। इन निर्देशों को सुरक्षित रखा जाएगा और परिपक्वता के समय निष्पादित किया जाएगा।

सावधि जमा राशियों पर ओवरड्राफ्ट

बैंक, जमाकर्ता / जमाकर्ताओं द्वारा विधिवत रूप से बुक करवाई गई सावधि जमा राशियों पर, आवश्यक प्रतिभूति दस्तावेजों का निष्पादन किए जाने पर लोन / ओवर ड्राफ्ट की सुविधा के लिए जमाकर्ता / जमाकर्ताओं के अनुरोध पर विचार कर सकता है। बैंक, अवयस्क के नाम रखी गई जमा राशि पर लोन देने पर भी विचार कर सकता है, लेकिन, जमाकर्ता / आवेदक द्वारा इस आशय की उपयुक्त घोषणा कि उक्त ऋण अवयस्क के हित के लिए है, प्रस्तुत की जानी होगी।

आवर्ती जमा

ब्याज़ का भुगतान

- बैंक द्वारा आवर्ती जमा पर ब्याज़ की गणना, भारतीय बैंकों की एसोसिएशन द्वारा सुझाई गई कार्यविधि के अनुसार की जाएगी।
- आवर्ती जमा के लिए ब्याज़ दर आवर्ती जमा बुक करने की तिथि को सावधि जमा के लिए लागू तदनुसूची दर होगी।
- आवर्ती जमा पर ब्याज़ की गणना, तिमाही अन्तराल पर लागू दर से चक्रवृद्धि ब्याज़ के रूप में की जाएगी।

किस्तों का भुगतान

- एक बार नियत की गई किस्त की राशि में बाद में परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
- भुगतान के समय एक से ज़्यादा बाकी किस्त देय होने पर, अदा की गई किस्त यदि केवल एक किस्त के भुगतान के लिए ही पर्याप्त है तो इसे देय पहली किस्त / अगली ही किस्त में शामिल दिया जाएगा।
- किस्तों के आंशिक / अग्रिम भुगतान की अनुमति नहीं होगी।
- बैंक, किस्तों का भुगतान करने के लिए जमाकर्ता / जमाकर्ताओं के खाते में पर्याप्त शेष रखने के बारे में इसे / इन्हें सूचित करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

पात्रता :

आवासी व्यक्ति (अवयस्कों सहित) और संयुक्त हिंदू परिवार

परिपक्वता :

- चाहे किस्ते अदा की जानी बाकी हो जमा राशि, संविदागत अवधि की समाप्ति पर परिपक्वता हो जाएगी और किस्तों का ऐसा भुगतान न किए जाने के कारण लागू दंड ब्याज़ प्रभार काटने के बाद, उक्त जमा राशि अदा किए जाने के लिए देय हो जाएगी।
- एक माह के भीतर ही इस जमा राशि के भुनाने पर ब्याज़ का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा और केवल मूल धन लौटाया जाएगा।
- आवर्ती जमा सूचना में उल्लिखित परिपक्वता की राशि, सभी किस्तों के समय पर भुगतान किए जाने पर अदा की जाएगी।

किस्तों के भुगतान में देरी पर दंड

- ५ दिन की अतिरिक्त अवधि के बाद किसी भी किस्त के भुगतान में देरी करने पर आवर्ती जमा ब्याज़ दर (आवर्ती जमा की बुकिंग के समय ब्याज़ की संविदागत दर) की दर + २ प्रतिशत वार्षिक या बैंक द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट अन्य ऐसी दर से देरी के माह का दंड स्वरूप ब्याज़ लिया जाएगा।
- ऐसे ब्याज़ की गणना करने के प्रयोजन से एक माह के अंश को पूरा माह माना जाएगा।
- चाहे माह का भुगतान कर दिया गया हो परन्तु किस्त वसूली के स्थायी निर्देशों का पालन नहीं किया गया हो तो, बैंक, प्रभारों की सामान्य विशेषताओं और अनुसूची (जीएफएससी) के अनुसार चालू / बचत खाते से स्थायी निर्देश का पालन न करने के प्रभार वसूल करेगा।
- देय कुल दंड ब्याज़, बैंक द्वारा देय ब्याज़ की कुल राशि से वसूल किया जाएगा और इसे केवल खाते की परिपक्वता पर या परिपक्वता से पहले, जैसा भी मामला हो, खाता बंद किए जाने के समय ही वसूल किया जाएगा।

आवर्ती जमा का परिपक्वता तिथि से पहले उदाहरण

- एक माह के भीतर ही इस जमा राशि के भुनाने पर ब्याज का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा और केवल मूल धन लौटाया जाएगा।
- आवर्ती जमा के परिपक्वता तिथि से पहले भुनाने पर, ब्याज का भुगतान, जमा राशि के परिपक्वता तिथि से पहले भुनाने संबंधी 0.५0 प्रतिशत दंड प्रभार काटने के बाद इस अवधि, जब तक जमा राशि बैंक के पास रही, के लिए जमा राशि की तिथि को प्रचालित दर या संविदागत दर, जो भी कम हो, से किया जाएगा।

विदेशी विनिमय सेवाएं पूरे भारत में चुनिंदा शाखाओं (बी श्रेणी) में उपलब्ध हैं जो विदेशी विनिमय का कार्य करने के लिए अधिकृत हैं।

- ट्रेवलर्स चेक (टीसी)
- विदेशी मुद्रा नकद खरीद / बिक्री
- वायर द्वारा अन्तरण
- डिमांड ड्राफ्ट

ट्रेवलर्स चेक (टीसी)

इस समय बैंक इन चार प्रमुख मुद्राओं यूएसडी, जीबीपी, जेपीवाई और यूरो में ट्रेवलर्स चेक जारी करता है जिनका यात्री विदेशों की यात्रा करते समय लाभ उठा सकते हैं। ये टीसी समय-समय पर यथा निर्धारित एफईएमए / आरबीआई विनियमों का पालन करने पर ही जारी किए जाते हैं।

चेक

हमारे ग्राहक होने के नाते आप सभी मुद्राओं में चेक जमा कर सकते हैं। आपको सिर्फ नीचे दिए पते पर अपने कोटक महिन्द्रा बैंक खाते के नाम एक डिमांड ड्राफ्ट या चेक मेल करना है और हम आपके विदेशी बैंक से धन राशि वसूल कर लेंगे और आपके खाते में जमा डाल देंगे। एनआरआई सर्विस सेन्टर, कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड, पांचवा तल, विनय भव्या कॉम्प्लेक्स, सी.एस.टी. रोड, सांताक्रूज़ ईस्ट, मुम्बई - ४०००९८, भारत। हमारे पास आपके खाते में चेक की राशि जमा करने में लगने वाला समय, मुद्रा के प्रकार और देश/स्थान पर निर्भर करेगा, जहां पर चेक जारी किया गया है। यह समय, हमारे नोस्ट्रो खाते में चेक जमा होने की तिथि से ६ से २१ कार्य दिवसों तक होगा।

विदेशी मुद्रा नकदी

इच्छुक ग्राहकों को विदेशी मुद्रा नकदी, यूएसडी, यूरो, जीबीपी, जेपीवाई, कनेडियन डॉलर और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में उपलब्ध कराया जाता है। बेची गई विदेशी मुद्रा की राशि, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदंडों के अनुसार होती है।

विदेशी मुद्रा डिमांड ड्राफ्ट

निम्नलिखित प्रयोजनों से एफईएमए के अनुसार विदेशी विनिमय लेनदेन करने के उद्देश्य से धन भेजन के लिए विदेशी मुद्रा डिमांड ड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है:

- किसी मित्र या रिश्तेदार को उपहार भेजना
- टीओईएफएल, जीएमएटी आदि जैसी विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क का भुगतान
- विदेशों में यूनिवर्सिटी फीस का भुगतान
- चिकित्सा उपचार बोर्ड के लिए भुगतान
- आरबीआई के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार अन्य कोई अनुमत्य प्रयोजन

हमारी शाखाओं द्वारा विदेशी मुद्रा डिमांड ड्राफ्ट चार मुद्राओं अमरीकी डॉलर (यूएसडी) ग्रेट ब्रिटेन पाउण्ड (जीबीपी), यूरो और जापानी येन (जेपीवाई) में जारी किए जाते हैं।

वेबसाइट से चोरी (फ़िशिंग)

फ़िशिंग से अभिप्राय किसी वेबसाइट पर संवेदनशील और गोपनीय सूचना प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ीपूर्ण आपराधिक कार्य में संलिप्त होने से है प्रयोक्ताओं से धोखे से वेबसाइटों, जिन्हें गलत इरादे से विश्वसनीय व्यक्ति की वेबसाइट बताया जाता है।

पर यूजर नेम, पासवर्ड, खाता विवरण, क्रेडिट कार्ड नम्बर आदि जैसी गोपनीय सूचना प्राप्त की जाती है।

फ़िशिंग से बचने के कुछ महत्वपूर्ण उपाय

- जब भी बैंक की वेबसाइट में जाएं तो हमेशा अपने ब्राइजर ऐड्रेस बार पर हमारा यूएलआर www.kotak.com टाइप करें।
- कभी भी ई-मेल से निजी सूचना मांगने के किसी भी आग्रह का जवाब न दें।
- जब भी हमारी वेबसाइट में जाएं अपने ब्राउजर के सबसे नीचे हमेशा एक पैडलॉक चिन्ह तलाशें।
- यदि कोई दुरुपयोग होता है तो तुरंत अपनी निकटतम शाखा में हमें सम्पर्क करें, या हमारे रात-दिन चालू ग्राहक सेवा केन्द्र में कॉल करें। आप हमें bank@kotak.com पर ई-मेल भेजकर दुरुपयोग के किसी भी संदिग्ध मामले की रिपोर्ट भी कर सकते हैं।

स्पूफ़िंग :

स्पूफ़िंग से अभिप्राय अवैध रूप से संवेदनशील सूचना तक पहुंच बनाने के लिए छद्म रूप धारण करके धोखाधड़ीपूर्ण कार्य में संलिप्त होने से है। ई-मेल स्पूफ़ एक ऐसी तकनीक है जिसे मूल प्रेषक की पहचान छिपाने और स्वयं को प्रमाणिक और विश्वसनीय व्यक्ति पेश करने के लिए तैयार की जाती है ताकि प्रयोक्ता को झांसा देकर इससे ई-मेल में गोपनीय सूचना प्राप्त की जा सके। सामान्तया ऐसा लगता है कि ई-मेल वैध पते से ही आई है जबकि 'उत्तर के पते' में वास्तविक धोखेबाज प्रेषक का पता हो सकता है। वेबसाइट स्पूफ़ धोखा देने का ऐसा पडयन्त्र होता है जिसमें धोखेबाज संगठन द्वारा सुप्रसिद्ध वेबसाइट की नकल कर ली जाती है ताकि प्रयोक्ताओं को झांसा देकर इनसे संवेदनशील सूचना प्राप्त की जा सके।

स्पूफ़िंग से बचने के महत्वपूर्ण उपाय:

- कोटक महिन्द्रा बैंक कभी भी आपको ई-मेल से निजी सूचना देने का अनुरोध करने की कोई ई-मेल नहीं भेजेगा।
- ऐसी किसी भी ई-मेल का जवाब न दें जो आपसे निजी वित्तीय या सुरक्षा संबंधी सूचना मांगे।
- ऐसी किसी ई-मेल में किसी भी लिंक पर क्लिक न करें।
- यदि आपको आशंका हो कि आपको किसी ने कोई कपटपूर्ण ई-मेल भेजी है तो कृपया अपनी निकटतम शाखा में इसकी रिपोर्ट करें या हमारे रात-दिन चालू ग्राहक सेवा केन्द्र में कॉल करें। आप हमें bank@kotak.com पर ई-मेल भेजकर दुरुपयोग के किसी भी संदिग्ध मामले की रिपोर्ट भी कर सकते हैं।

विशिंग :

विशिंग का कार्य फ़िशिंग जैसा ही होता है सिवाय इसके कि इसमें अवैध रूप से गोपनीय सूचना तक पहुंच बनाने के लिए वीओआईवी (वॉयस ओवर इन्टरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। सामान्तया वॉयस काल की जाती है जिससे ग्राहक आईवीआर (इन्टरएक्टिव वॉयस रिस्पॉस) जैसी टेलीफोन प्रणाली पर ऐसी संवेदनशील सूचना देने के झांसे में आ जाता है जो निजी, वित्तीय या सुरक्षा से संबंधित हो सकती है।

विशिंग से बचने के महत्वपूर्ण उपाय:

- ऐसी किसी व्यक्ति को कभी भी अपना पासवर्ड या पिन न बताएं जो अपने को कोटक महिन्द्रा बैंक का प्रतिनिधि कहें। हमेशा ध्यान रखें कि कोटक महिन्द्रा का कोई भी कर्मचारी आपसे आपका पासवर्ड या पिन नहीं पूछेगा।
- ऐसी किसी टेलीफोन प्रणाली पर निजी या खाते से संबंधित कोई भी सूचना न छोड़ें जो आपसे बताने के लिए कहे।
- इससे पहले कि आप कपटपूर्ण मेल में उल्लिखित फोन नम्बरों पर कॉल करें, कृपया इनका कोटक बैंक के रात-दिन चालू ग्राहक सेवा केन्द्र में सत्यापन करें।
- यदि आपको यह आशंका हो कि किसी ने आपको कपटपूर्ण ई-मेल भेजी है जिसमें आपको कोटक बैंक का नंबर बताकर इस नंबर पर कॉल करने के लिए कहा जाएं तो कृपया अपनी निकटतम शाखा में इसकी रिपोर्ट करें या हमारे रात-दिन चालू ग्राहक सेवा केन्द्र में कॉल करें। आप हमें bank@kotak.com पर ई-मेल भेजकर दुरुपयोग के किसी भी संदिग्ध मामले की रिपोर्ट भी कर सकते हैं।

सामान्य नेट बैंकिंग सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण उपाय:

- कभी भी अपना निजी पहचान नंबर (पिन) लिखकर न रखें - इसे केवल याद रखें। किसी को भी अपना पिन नंबर न बताएं। कोटक महिन्द्रा बैंक, अपना पिन या यूजर आईडी या पासवर्ड किसी को बताने से उत्पन्न क्षति के लिए देनदार नहीं होगा।
- पिन चुनते समय, ऐसे नंबर या अक्षर न चुनें जिनकी आसानी से पहचान हो सके। आद्याक्षर, फोन नम्बर या जन्म तिथि को पिन के लिए न चुनें।
- अपने बैंक रिकॉर्ड में सही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें।
- मोबाइल फ़ोन और ईमेल आईडी की सुरक्षा को सुनिश्चित करें।
- इस सुविधा का लाभ लेने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन और ईमेल आईडी को एक्टिव रखें।
- यदि आप अपने सही मोबाइल फ़ोन और ईमेल आईडी को अपडेट नहीं करते हैं, तो बैंक आपके खाते में हो रहे किसी भी धोखाधड़ी भरे लेनदेन के मामले में आपको अलर्ट की जानकारी न मिलने के प्रति जवाबदेह नहीं होगा।
- कोटक महिन्द्रा बैंक ई-मेल और एसएमएस अलर्ट सुविधा प्रदान करता है जिसके माध्यम से आपको लेनदेन संबंधी अलर्ट भेजे जाते हैं। हमेशा इन अलर्टों - ई-मेल / एसएमएस को देखते रहें जो बैंक आपको भेजे क्योंकि इससे आपको अपने धन का पता रखने और किसी दुरुपयोग को रोकने में सहायता मिलेगी।
- अलर्ट/खाते की जानकारी के उद्देश्य से हमें उपलब्ध कराए गए अपने मोबाइल नंबर और/या ईमेल आईडी पर अलर्ट/खाते की जानकारी प्राप्त नहीं होने पर बैंक को सूचित करें।
- यदि आपको यह आशंका हो कि आपके नेट बैंकिंग पासवर्ड की गोपनीयता भंग की गयी है या डेबिट कार्ड गुम हो गया है, तो कृपया तुरंत हमारे रात-दिन चालू ग्राहक सेवा केन्द्र में संपर्क करें।

जनरल मोबाइल बैंकिंग/नेट बैंकिंग/एसएमएस अलर्ट संबंधी सुरक्षा सुझाव:

- कभी भी अपने मोबाइल पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर (एमपिन) कहीं पर भी नहीं लिखें - इसे याद रखें! अपना एमपिन नंबर किसी को भी न बताएं। कोटक महिन्द्रा बैंक आपके द्वारा अपने एमपिन या यूजर आईडी को साझा करने से हुई हानि के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।
- एमपिन का चयन करते समय, ऐसे नंबर और अक्षरों को न चुनें जिनका पता आसानी से लगाया जा सकता है। फ़ोन नंबर या जन्म तिथि का इस्तेमाल करने से बचें।
- बैंक रिकॉर्ड में अपने सही मोबाइल फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी को अपडेट करायें।
- अपने मोबाइल फ़ोन और ईमेल आईडी की सुरक्षा को सुनिश्चित करें।
- इस सुविधा का लाभ लेने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन और ईमेल आईडी को एक्टिव रखें।
- यदि आप अपने सही मोबाइल फ़ोन और ईमेल आईडी को अपडेट नहीं करते हैं, तो बैंक आपके खाते में हो रहे किसी भी धोखाधड़ी भरे लेनदेन के मामले में आपको अलर्ट की जानकारी प्राप्त न होने के प्रति जवाबदेह नहीं होगा।
- कोटक महिन्द्रा बैंक ईमेल और एसएमएस अलर्ट की सुविधा प्रदान करता है जिसमें आपके लेनदेन की जानकारी होती है। हमेशा बैंक द्वारा भेजे गए इन ईमेल/एसएमएस की अलर्ट्स की जांच करें - क्योंकि इससे आपको अपनी धनराशि पर नज़र रखने में मदद मिलती है और साथ ही यह किसी भी दुरुपयोग को भी रोकता है।
- अलर्ट/खाते की जानकारी के उद्देश्य से हमें उपलब्ध कराए गए अपने मोबाइल नंबर और/या ईमेल आईडी पर अलर्ट/खाते की जानकारी न मिलने पर बैंक को सूचित करें।
- यदि आपको संदेह हो कि आपके नेट बैंकिंग पासवर्ड का उल्लंघन हुआ है या डेबिट कार्ड खो गया है, तो कृपया तुरंत हमारे २४ घंटे के ग्राहक संपर्क केंद्र से संपर्क करें।

ग्राहक द्वारा हुए किसी भी अनाधिकृत लेनदेन की जानकारी बैंक को दें

- ग्राहक को इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन के लिए अनिवार्य रूप से एसएमएस अलर्ट पंजीकृत कराना चाहिए और जहां भी संभव हो ईमेल अलर्ट भी पंजीकृत कराना चाहिए।
- किसी भी अनाधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन होने के तुरंत बाद ग्राहक द्वारा बैंक को इसकी जानकारी देने की सलाह दी जाती है। बैंक को किसी भी अनाधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन की जानकारी देने में जितना अधिक समय लिया जाता है, ग्राहक को उतना ही नुकसान होने का खतरा अधिक होता है।

- ग्राहक किसी भी उपलब्ध बहुधा चैनलों के माध्यम से अनाधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन की सूचना दे सकते हैं जैसे कि वेबसाइट, फ़ोन बैंकिंग, एसएमएस, ईमेल ब्रांच आदि। अनाधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन की सूचना देने के लिए विवरण और क्रियाविधि बैंक के शाखा परिसर / बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए गए हैं।
- ग्राहक की ओर से एक अनाधिकृत लेनदेन की सूचना मिलने के बाद, बैंक खाते में अगले अनाधिकृत लेनदेनों को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाएगी।

ग्राहक की सीमित देनदारी

(अ) एक ग्राहक की शून्य देनदारी

एक ग्राहक शून्य देनदारी का पात्र वहाँ होगा जहां अनाधिकृत लेनदेन निम्नलिखित मामलों में होगा:

- बैंक की अंशदायी धोखाधड़ी/ लापरवाही / कमी (चाहे ग्राहक द्वारा बैंक को ऐसे लेनदेन की जानकारी दी गयी हो अथवा न दी गयी हो)।
- तीसरे पक्ष द्वारा जहां न तो बैंक में कोई कमी हो और न ही ग्राहक में कोई कमी हो, बल्कि सिस्टम में कहीं कमी पायी गयी हो, और ग्राहक बैंक द्वारा ऐसे अनाधिकृत लेनदेन की सूचना प्राप्त होने के तीन कार्यकारी दिवसों के भीतर इसकी सूचना देता है।

(ब) एक ग्राहक की सीमित देनदारी

एक ग्राहक निम्नलिखित मामलों में अनाधिकृत लेनदेनों के कारण हुए किसी भी नुकसान के लिए जवाबदेह होगा:

- ऐसे मामलों में जहां नुकसान एक ग्राहक की लापरवाही की वजह से हुआ है, जैसे उसने भुगतान के क्रेडेंशियल साझा किए हों, ग्राहक तब तक समग्र हानि भुगतेंगा जब तक वह अनाधिकृत लेनदेन की जानकारी बैंक को नहीं दे देता। अनाधिकृत लेनदेन की जानकारी मिलने के बाद हुए किसी भी नुकसान के प्रति बैंक उत्तरदायी होगा।
- ऐसे मामलों में जहां अनाधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन की जवाबदारी न तो बैंक की हो और न ही ग्राहक की, बल्कि सिस्टम में कहीं निहित है तो और इसमें ग्राहक द्वारा बैंक को सूचित करने में कहीं विलंब (बैंक द्वारा सूचना मिलने के चार से सात दिवसों के भीतर) होता है, तो यदि इस सूचना में सात कार्यकारी दिवसों से अधिक विलंब होता है, तो ग्राहक की देनदारी बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित क्षतिपूर्ति नीति के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

खाते का प्रकार	अधिकतम देनदारी (रुपये में)
बीएसबीडी खाते	५,०००
<ul style="list-style-type: none"> • अन्य सभी एसबी खाते • प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रुमेंट और गिफ्ट कार्ड्स • एमएसएमई के चालू/नकद क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट खाते • वार्षिक औसत शेष राशि के साथ व्यक्ति के चालू खाते/नकद क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट खाते (धोखाधड़ी होने की वारदात होने से पहले ३६५ दिनों के दौरान)/२५ लाख रुपये की सीमा • ५ लाख रुपये तक की सीमा वाले क्रेडिट कार्ड्स 	१०,०००
<ul style="list-style-type: none"> • अन्य सभी चालू/नकद क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट खाते • ५ लाख रुपये से अधिक सीमा वाले क्रेडिट कार्ड्स 	२५,०००

(स) तीसरे पक्ष द्वारा उल्लंघन के मामले में ग्राहक की देनदारी

जैसा कि उपरोक्त पैराग्राफ ६ (i) और पैराग्राफ ७ (ii) में वर्णित है, कि जहां कमियां न तो बैंक में हों और न ही ग्राहक में हों, बल्कि सिस्टम में कहीं निहित हैं, तो तीसरे पक्ष द्वारा उल्लंघन किए जाने के मामले में ग्राहक की समग्र देनदारियां तालिका २ में प्रस्तुत की गयी हैं:

तालिका २ - ग्राहक की देनदारी का सारांश

सूचना मिलने की दिनांक से धोखाधड़ी वाले लेनदेन की सूचना देने में लगा समय	ग्राहक की देनदारी (रुपये में)
३ कार्यकारी दिवसों में	शून्य देनदारी
४ से ७ कार्यकारी दिवसों में	तालिका १ में उल्लिखित राशि या लेनदेन का मूल्य, जो भी न्यूनतम हो
७ कार्यकारी दिवसों से अधिक	बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार

- तालिका २ में उल्लिखित कार्यकारी दिवसों की संख्या की गणना, सूचना प्राप्ति की दिनांक को छोड़कर ग्राहक की गृह शाखा के कार्य की समयसारणी के अनुसार की जाएगी।

डेबिट कार्ड और एटीएम की सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण उपाय

- अपने निजी पहचान नंबर (पिन) को कभी भी अपने कार्ड के पीछे न लिखें या इसे किसी भी व्यक्ति को न बताएं - इसे केवल याद रखें।
- पहली बार एटीएम का उपयोग करने पर अपने पिन बदल लें और जन्म तिथि, फोन नंबर आदि जैसे नंबर न चुनें।
- जैसे ही आपको अपना कार्ड मिले, तुरंत हस्ताक्षर पैनल पर अपने हस्ताक्षर करना न भूलें। कार्ड खाता नंबरों और टेलीफोन नंबरों का रिकार्ड रखें ताकि कार्ड गुम होने या इसे चुराएं जाने पर आप रिपोर्ट कर सकें। इस सूची को सुरक्षित स्थान पर रखें।
- खरीददारी करने के बाद हर बार अपना कार्ड अवश्य वापिस लें।
- कभी भी फोन पर अपना कार्ड नंबर न बताएं।
- बिक्री रसीद पर हस्ताक्षर करने से पहले हमेशा लेनदेन की राशि की जांच करें।
- हमेशा बिक्री वाउचरों की जांच करें जिससे यह सत्यापित हो सके कि रसीद की ग्राहक वाली कॉपी पर उल्लिखित राशि वही है जो दुकानदार की कॉपी में दी गई है।
- कार्ड को अपनी गाड़ी के ग्लव कंपार्टमेंट में न छोड़ें।
- हमेशा अपने पिन और लेनदेन राशि की सुरक्षा करें और यदि आपको कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो तुरंत अपने लेनदेन को रद्द कर दें और वहां से चले जाएं।
- एटीएम से लेनदेन पूरा करने के बाद अपना कार्ड और लेनदेन रिकार्ड लेना न भूलें - अपनी रसीद को छोड़ कर न जाएं। अपने मासिक विवरण से इसका मिलान करें।
- एटीएम में खड़ा होकर अपना नकदी न गिनें - तुरंत अपना नकदी, कार्ड और रसीद अंदर रखें।
- यह जरूर ध्यान रखें कि आपके बाद एटीएम का उपयोग करने की प्रतीक्षा करने वाला व्यक्ति आपके पिन या आप द्वारा डाली जा रही लेनदेन की राशि न देख पाए।
- यदि एटीएम मशीन से आपका कार्ड नहीं निकल रहा है तो सहायता के लिए आगे आने वाले व्यक्ति को दूर रखें चाहे वह दिखने में बैंक सुरक्षा अधिकारी ही क्यों न लगे। अज्ञान व्यक्तियों से सहायता न लें।
- यदि आपको अपना डेबिट कार्ड खोए जाने की आशंका हो तो कृपया तुरंत हमारे रात-दिन चालू ग्राहक सेवा केन्द्र में संपर्क करें।

किसी भी जानकारी के लिए कृपया हमारे रात-दिन चालू ग्राहक सेवा केंद्र में कॉल करें या bank@kotak.com पर लिखें। हमें आपकी सहायता करने में खुशी होगी।

अन्तर्देशीय धन प्रेषण

डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) / बैंकर्स चेक (बीसी)

डिमांड ड्राफ्ट: ऐसा अनुदेश लिखत होता है जिसे धन का भुगतान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह भुगतान करने के लिए एक बेचनीय लिखत या लिखित आदेश होता है। बैंक अपनी ही शाखाओं में देय, बैंक की संपर्ककर्ता शाखाओं में देय डिमांड ड्राफ्ट जारी करता है। इसके अलावा, बैंक, संपर्ककर्ता बैंक शाखाओं को छोड़कर अन्य शाखाओं के नाम आहरित ड्राफ्टों के लिए स्थानीय बैंक शाखाओं के साथ ड्राफ्ट आहरण व्यवस्था के माध्यम से ड्राफ्ट जारी करने की व्यवस्था करता है।

बैंकर्स चेक : यह धन के स्थानीय प्रेषण के लिए ग्राहकों को प्रदान की गई सुविधा है। बैंकर्स चेक जारीकर्ता शाखा में आहरित और देय होता है।

डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जारी करने के प्रभार, प्रभारों की सामान्य अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।

राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक धन अन्तरण (एनईएफटी)

इस प्रणाली का उद्देश्य पूरे भारत में बैंकिंग क्षेत्र में धन अन्तरणों और समाशोधन की दक्ष, सुरक्षित, किफायती, विश्वसनीय तथा तीव्र प्रणाली को आसान बनाना तथा कागज़ आधारित धन अन्तरण और समाशोधन की मौजूदा प्रणाली पर दबाव कम करना है।

इलेक्ट्रानिक समाशोधन प्रणाली (ईसीएस)

यह प्रणाली भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ग्राहकों की सुविधा के लिए विकसित की गई है जिसमें लाभांश, कमीशन, ब्याज़ आदि जैसे भारी मात्रा में और बार-बार किए जाने वाले भुगतान लेनदेनों के लिए कागज़ी लिखतों का विकल्प तलाशने की परिकल्पना की गई है।

रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस)

आरटीजीएस धन अन्तरण प्रणाली है जिसमें “रीयल टाइम” और “ग्रॉस” आधार पर एक बैंक से दूसरे बैंक में धन अंतरण होता है। यह बैंकिंग चैनल से सबसे तेज संभव धन अन्तरण प्रणाली है। “रीयल टाइम” में निपटान से अभिप्राय भुगतान लेनदेन में कोई प्रतीक्षा समय न होने से है। जैसे ही लेनदेन की प्रक्रिया शुरू की जाती है इसी समय लेनदेन पूरा हो जाता है। ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब है कि वह लेनदेन अकेले ही कर दिया जाता है और इसके साथ किसी और लेनदेन को शामिल नहीं किया जाता है। यह देखते हुए कि धन अन्तरण, भारतीय रिजर्व बैंक की बहियों में होता है, इसलिए ऐसा भुगतान अंतिम और अप्रतिसंहरणीय होता है। आरटीजीएस के माध्यम से ग्राहक किसी भी सहभागी बैंक शाखा को २ लाख रुपये और इससे अधिक की धनराशि का अन्तरण कर सकता है।

ग्राहक के खातों की गोपनीयता

बैंक, ग्राहक की विशिष्ट या अन्तर्निहित सहमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति या पार्टी को ग्राहक के खाते का ब्यौरा / विवरण नहीं देगा। लेकिन, इसके कुछ अपवाद हैं जैसे कानून की अपेक्षा के तहत सूचना का प्रकटीकरण, जहां बैंक के हित में ऐसा प्रकटीकरण अपेक्षित हो।

मृतक के जमा खाता में देयताओं का भुगतान

- यदि जमाकर्ता ने बैंक में नामांकन पंजीकृत किया है; - मृतक जमाकर्ता के खाते में शेष बकाया, नामिती की पहचान आदि के बारे में बैंक की सन्तुष्टि होने के बाद नामिती के खाते में अन्तरित कर दी जाएगी / इसे इसका भुगतान कर दिया जाएगा।
- संयुक्त खाते के मामले, जिसमें बैंक में नामांकन पंजीकृत है, में भी उपरोक्त प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
- संयुक्त जमा खाते में, यदि संयुक्त खाता धारकों में से एक खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो बैंक द्वारा मृतक व्यक्ति के कानूनी वारिसों तथा उत्तरजीवी जमाकर्ता / जमाकर्ताओं को संयुक्त रूप से भुगतान किया जाना होता है। लेकिन, यदि संयुक्त खाता धारकों ने खाते में शेष के भुगतान “दोनों में से कोई भी” या उत्तरजीवी, पहले नाम वाला / बाद के नाम वाला या उत्तरजीवी, उत्तरजीवियों में से कोई भी या उत्तरजीवी आदि जैसे रूपों में अधिदेश दिया है तो, दिए गए अधिदेश के अनुसार भुगतान किया जाएगा ताकि मृतक के वारिसों द्वारा कानूनी कागज़ात प्रस्तुत करने में विलंब से बचा जा सके।
- जब नामांकन न किया गया हो और बैंक को कोई उचित शंका न हो या दावेदारों के बीच कोई विवाद न हो तो बैंक, बैंक बोर्ड द्वारा समय-समय पर अनुमोदित सीमा तक कानूनी दस्तावेज़ों की अनिवार्यता मांग न करते हुए कानूनी वारिसों की ओर से भुगतान प्राप्त करने के लिए इन सभी वारिसों द्वारा या इनके द्वारा अधिदेशित व्यक्ति द्वारा संयुक्त आवेदन देने और क्षतिपूर्ति भरने पर मृतक व्यक्ति के खाते में बकाया राशि का भुगतान करेगा। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए है कि जमाकर्ताओं को कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने में विलंबों के कारण कोई परेशानी न हो।

मृतक के खाते में सावधि जमा पर देय ब्याज़

जमा राशि की परिपक्वता की तिथि से पहले जमाकर्ता की मृत्यु होने की स्थिति में और जमा का दावा परिपक्वता की तिथि के बाद किए जाने पर, बैंक परिपक्वता की तिथि तक संविदागत दर पर ब्याज़ का भुगतान करेगा। परिपक्वता की तिथि से भुगतान की तिथि तक, बैंक इस संबंध में बैंक की नीति के अनुसार इस अवधि के लिए परिपक्वता की तिथि को प्रचलित लागू दर पर साधारण ब्याज़ का भुगतान करेगा जब तक जमा राशि, परिपक्वता की तिथि के बाद बैंक में रही।

लेकिन, जमा राशि की परिपक्वता की तिथि के बाद जमाकर्ता की मृत्यु होने की स्थिति में, बैंक, परिपक्वता की तिथि से भुगतान की तिथि तक परिपक्वता की तिथि को प्रचलित बचत जमा दर से ब्याज़ का भुगतान करेगा।

जमा राशि के लिए बीमा सुरक्षा

बैंक जमा राशियों पर भारतीय निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) द्वारा चलाई गई बीमा स्कीम के अन्तर्गत बीमा सुरक्षा प्राप्त है, परन्तु इस पर डीआईसीजीसी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कुछ विशेष सीमाएं और शर्तें लागू हैं।

- भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की शाखाओं सहित सभी वाणिज्यिक बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और आंचलिक ग्रामीण बैंक, भारतीय निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) द्वारा बीमाकृत हैं।
- डीआईसीजीसी बचत, सावधि, चालू आदि जैसी सभी जमा राशियों का बीमा करता है।
- किसी बैंक की अलग-अलग शाखाओं में रखी गई जमा राशियों को, जमाकर्ता द्वारा इसी अधिकार और इसी हैसियत, जो बैंक के लाइसेंस के परिसमापन / निरस्तीकरण की तिथि को या इस तिथि, जिस दिन समामेलन / विलय / पुनर्निर्माण की स्कीम प्रवृत्त हो, को अधिकार और हैसियत से धारित मूल और ब्याज़, दोनों की राशि का कुल योग अधिकतम ५,००,००० रुपये से (केवल पाँच लाख रूपए) तक रखा जाता है।
- डीआईसीजीसी अधिकतम ५ लाख रुपये तक की राशि तक मूलधन और ब्याज़ का बीमा करता है। उदाहरण के लिए यदि किसी का ४,९५,००० रुपये मूलधन तथा ४०००/- रुपये के अर्जित ब्याज़ का खाता है तो डीआईसीजीसी द्वारा किए गए बीमे की कुल राशि ४,९९०००/- रुपये होगी। लेकिन, यदि इस खाते में मूलधन ५ लाख रुपये था तो अर्जित ब्याज़ का बीमा नहीं किया जाएगा, ऐसा इसलिए नहीं है कि यह ब्याज़ था, बल्कि इसलिए कि वह राशि ५ लाख रुपये की बीमा राशि से अधिक थी।
- एक ही बैंक में एक ही तरह के स्वामित्व में रखी गई धन राशियों को, जमा बीमा का निर्धारण किए जाने से पहले एक साथ जोड़ दिया जाता है। यदि धन राशियां अलग-अलग तरह के स्वामित्व में हैं या अलग-अलग बैंकों में जमा की गई हैं तो इनका अलग-अलग बीमा किया जाएगा। यदि एक से अधिक बैंकों में आपकी जमा राशियां हैं तो प्रत्येक बैंक में जमा राशियों की जमा बीमा सुरक्षा सीमा अलग-अलग होगी।
- यदि कोई व्यक्ति किसी बैंक की एक से अधिक शाखाओं में एक से अधिक जमा खाता खोलता है उदाहरण के लिए श्री एक्स एक या एक से अधिक बचत / या चालू खाता और एक या एक से अधिक सावधि / आवर्ती जमा खाते आदि खोलता है इन सभी खातों को इसी हैसियत में और इसी अधिकार में धारित खाते माना जाता है। इसलिए, इन सभी खातों की शेष राशियों को मिला दिया जाता है और अधिकतम ५ लाख रुपये तक की बीमा सुरक्षा दी जाती है। यदि श्री एक्स किसी फ़र्म के साझेदार या अवस्यक के अभिभावक या किसी कंपनी के डायरेक्टर या किसी न्यास के न्यासी की अपनी हैसियत से अन्य जमा खाता खोलता है या अपनी पत्नी श्रीमती वाई के साथ मिलकर बैंक की एक या एक से अधिक शाखा में संयुक्त खाता भी खोलता है तो ऐसे खातों को अलग-अलग हैसियत में और अलग-अलग अधिकार में रखे गए खाते माना जाता है। तदनुसार ऐसे जमा खातों को भी अलग से ५ लाख रुपये तक की बीमा सुरक्षा मिलेगी।
- स्वामित्व वाले प्रतिष्ठान के नाम में धारित जमा जिसमें एक जमाकर्ता एकल स्वामी है तो उसकी व्यक्तिगत क्षमता में धारित जमा की राशि जोड़ दी जाती है और इस पर अधिकतम ५ लाख रुपये तक की बीमा सुरक्षा दी जाती है।

इस बारे में अधिक जानकारी के लिए www.dicgc.org.in देखें।

निष्क्रिय खाते

ऐसे खाते जिनमें लगातार २४ माह तक किए जाने वाले कोई ग्राहक उत्प्रेरित लेनदेन न हो (इसमें ब्याज़ जमा डालना, ब्याज़ नामे डालना जैसे प्रणाली जनित लेनदेन शामिल नहीं है) तो इसे ग्राहक के हित में निष्क्रिय खाता घोषित कर दिया जाता है। ऐसे खाते का निष्क्रिय सक्रिय का दर्जा, केवल ग्राहक द्वारा संगत पहचान प्रमाण के दस्तावेज के साथ दिए गए लिखित निर्देश पर और इस खाते में वित्तीय लेनदेन शुरू करने पर ही बदलेगा। बैंक इस बारे में इस समय तक जब तक खाता निष्क्रिय रहता है, एटीएम, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग फोन बैंकिंग आदि जैसे सुविधाजनक बैंकिंग माध्यम से किए लेनदेन नहीं मानेगा।

सुरक्षित जमा लॉकर

यह सुविधा बैंक की चुनिंदा शाखाओं में दी गई है और जहां यह सुविधा दी गई है वहां सुरक्षित जमा कक्ष का आबंटन, लॉकर उपलब्ध होने तथा इस सेवा से जुड़े निबंधन एवं शर्तों का अनुपालन करने पर किया जाएगा। सुरक्षित जमा लॉकर कोई भी व्यक्ति (जो अवयस्क न हो) अकेले या अन्य व्यक्ति / व्यक्तियों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से, हिंदू संयुक्त परिवार, फ़र्म, लिमिटेड कम्पनियां, एसोसिएशन, सोसायटियां, न्यास आदि देय प्रभार का भुगतान करके प्राप्त कर सकते हैं। एकल या संयुक्त रूप में लॉकर धारक व्यक्ति / व्यक्तियों को नामांकन सुविधा उपलब्ध है। जब नामांकन किए बिना एकल लॉकर प्राप्तकर्ता की मृत्यु हो गई हो, परन्तु विधिवत निष्पादित वसीयत नामा किया गया हो तो वह लॉकर कर इस्तेमाल निष्पादक / प्रशासक द्वारा किया जाएगा।

शिकायत

यदि किसी ग्राहक को बैंक द्वारा प्रदत्त सेवाओं के संबंध में कोई शिकायत है तो इसे, ग्राहक को शिकायत का निपटान करने के लिए बैंक द्वारा नामित प्राधिकारी (प्राधिकारियों) के पास जाने का अधिकार होगा। शिकायतों के निपटान का विवरण एवं तन्त्र शाखा परिसर में और बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। शाखा अधिकारी, शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया संबंधी सभी अपेक्षित जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। यदि ग्राहक को शिकायत करने की तिथि से ३० दिन के भीतर बैंक से संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है तो इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त बैंक लोकपाल के पास जाने का अधिकार होगा।

चेक ड्रॉप बॉक्स और चेकों की पावती

बैंक के काउंटरों पर जमा किए जाने हेतु प्रस्तुत सभी चेकों के संबंध में ड्रॉप बॉक्स सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद ग्राहकों द्वारा कभी भी चेकों की पावती मांगे जाने पर उन्हें पावती दी जाएगी। उसके अलावा, शाखा एटीएम ड्रॉप बॉक्सों पर यह लिखा रहता है ग्राहक काउंटर पर भी चेक जमा करवा सकते हैं और भुगतान पर्ची पर पावती प्राप्त कर सकते हैं।

डू नॉट कॉल रजिस्ट्री

बैंक अपने ग्राहकों को अपने नवीनतम उत्पादों और सेवाओं की सूचना भेजता है। हम यह सूचना पत्र, ई-मेल या फोन से और केवल उन्हीं ग्राहकों को भेजते हैं जिनके बारे में हम यह सोचते हैं कि ये उत्पाद और सेवाएं इनके लिए आकर्षक और लाभप्रद होंगी।

हम आपकी गोपनीयता का पूरा आदर करते हैं और यह मानते हैं कि शायद आप में से कुछ ग्राहक हमारे टेलीमार्किटिंग क्रियाकलापों के लिए फोन कॉल / ई-मेल / एसएमएस प्राप्त नहीं करना चाहेंगे। यदि आप नहीं चाहते कि आपको ऐसा कोई संदेश आए तो आप हमारी वेबसाइट पर डू नॉट कॉल सेवा पंजीकरण सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं या हमें लिख सकते हैं या कॉल कर सकते हैं और इन नंबरों को रजिस्टर करवा सकते हैं जिन्हें आप हमारे टेलीमार्किटिंग सूची से हटवाना चाहते हैं। अपने नंबर / नंबरों को रजिस्टर करवाने के लिए आप जो ब्यौरे देंगे उन्हें हम गोपनीय रखेंगे।

नंबर रजिस्टर करवाने के बाद :

- हम यह सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास करेंगे कि आपको बैंक से रजिस्टर किए गए नंबरों पर कोई भी आवांछित मार्किटिंग कॉल नहीं आती है।
- कृपया हमारी टेलीमार्किटिंग सूचियों से विनिर्दिष्ट नम्बर हटाने के लिए हमें १५ कार्य दिवसों का समय दें।

डिपॉजिटरी प्रतिभागी सेवाएं

बैंक अपने ग्राहकों के लिए व्यापक किस्म के वित्तीय उत्पाद और सेवाएं प्रस्तुत करता है जिनमें डिपॉजिटरी सेवाएं भी शामिल हैं। पूरे भारत में अपनी शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से डिपॉजिटरी सेवाएं पेश करने के उद्देश्य से, बैंक इन दोनों ही डिपॉजिटरियों (NSDL और CDSL) के साथ एक डिपॉजिटरी प्रतिभागी (DP) के रूप में निबंधित है। इन सेवाओं में शामिल हैं खाताएं खोलना और उनका रखरखाव, अ-भौतिकीकरण (डी-मैटीरियलाइजेशन), पुनःभौतिकीकरण (री-मैटीरियलाइजेशन), मार्केट ट्रांसफ़रों के माध्यम से व्यापारों का निपटान, ऑफ-मार्केट ट्रांसफ़र, इंटर-डिपॉजिटरी ट्रांसफ़र, नामांकन, संचारण (ट्रांसमिशन), भू-जनसांख्यिक विवरणों में परिवर्तन, इत्यादि।

खाता खोलना: अपनी भौतिक सम्पदाओं (होलिडिंग्स) को इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित शेयर सर्टिफिकेटों के रूप में प्राप्त करने के लिए किसी भी ग्राहक को डीमैट खाता खोलने की जरूरत होती है। शेयरों को भौतिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित करने के लिए, यह खाता शेयर सर्टिफिकेट्स में निहित होल्डिंग पैटर्न के अनुसार खोला जाना होता है। द्वितीयक मार्केट ट्रांजैक्शंस की स्थिति में, जैसेकि किसी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से शेयरों की खरीद / बिक्री, अपने खाते में शेयरों को जमा करने / निकासी के लिए ग्राहक द्वारा उस ब्रोकर को अपने डीमैट एकाउंट का विवरण देना पड़ता है। प्रासंगिक KYC दस्तावेजों (यानी पहचान का प्रमाण, पते का प्रमाण एवं अन्य विवरण के साथ अपना पासपोर्ट साइज़ फोटो) के साथ, ग्राहक को डिपॉजिटरी प्रतिभागी (DP) के पास ठीक से भरा हुआ खाता खोलने का आवेदन प्रपत्र (एकाउंट ओपनिंग ऐप्लीकेशन फॉर्म) देना होता है ताकि उसका डीमैट एकाउंट खोला जा सके। ये सभी दस्तावेज स्व-सत्यापित (सेल्फ-एटैस्टेड) होने चाहिए। ग्राहक द्वारा दिए गए सभी दस्तावेजों / विवरणों के साथ आवेदन-पत्र के सफलतापूर्वक प्रोसेस हो जाने के बाद, डीमैट खाता खोल दिया जाता है और बैंक उसे ग्राहक के साथ साझा करता है। बैंक के साथ भविष्य के अपने सभी पत्राचारों में ग्राहक को अपने डीमैट एकाउंट का उल्लेख करना चाहिए।

शेयरों का अ-भौतिकीकरण (डी-मैटीरियलाइजेशन): केवल उन्हीं प्रतिभूतियों का अ-भौतिकीकरण किया जा सकता है जिन्हें अ-भौतिकीकरण के लिए सम्बंधित डिपॉजिटरी के पास निबंधित किया गया है। केवल वे ही होल्डिंग्स अ-भौतिकीकृत किए जा सकते हैं जो खाताधारक के नाम से निबंधित हैं। प्रतिभूतियों के धारकों के नाम वे ही हों जो कि डीमैट एकाउंट में दिए गए हैं। स्थानांतर (ट्रांसपोजीशन) सह डीमैट सुविधा उपलब्ध है जिसके तहत प्रतिभूतियों को उसी खाते में अ-भौतिकीकृत किया जा सकता है, भले ही शेयर सर्टिफिकेटों के नाम-क्रम भिन्न हों। ग्राहक (निबंधित स्वामी) द्वारा निर्धारित डीमैट निवेदन फॉर्म में बैंक की शाखा के पास अ-भौतिकीकृत किए जाने वाले प्रतिभूति शेयर सर्टिफिकेटों के साथ अ-भौतिकीकरण के लिए निवेदन किया जाएगा। इसे प्रस्तुत करने से पहले, ग्राहक को सर्टिफिकेटों का रूप विकृत करना होगा और उसपर अ-भौतिकीकरण के लिए समर्पित (SURRENDERED FOR DEMATERIALIZATION) लिखना होगा। सामान्य प्रक्रिया में, DP के पास डीमैट के लिए निवेदन जमा किए जाने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर ग्राहक को डीमैट की पुष्टि मिल जानी चाहिए। प्रत्येक कम्पनी के शेयर के अ-भौतिकीकरण के लिए अलग से निवेदन करना होगा। यदि एक से अधिक कम्पनियां हों तो प्रत्येक के लिए अलग-अलग निवेदन करना होगा। शाखा द्वारा निवेदनों पर उल्लिखित विवरणों का सत्यापन किया जाता है और अ-भौतिकीकरण के लिए कम्पनियों की उपलब्धता की जांच की जाती है। निवेदन पत्र पर डीमैट खाते के सभी खाता-धारकों का हस्ताक्षर जरूरी है। निवेदन पत्र पर दिए गए हस्ताक्षरों का शाखा द्वारा डीमैट खाते से मिलान किया जाता है। यदि निवेदन हर तरह से ठीक पाया गया तो शाखा उस निवेदन को अपने सिस्टम में कैप्चर कर लेती है और आगे की प्रक्रिया के लिए उसे केंद्रीकृत डिपॉजिटरी ऑपरेशंस के पास भेज देती है। सम्बंधित RT/कम्पनी के पास भेजा गया निवेदन प्रक्रिया में रखा जा सकता है या उसे खारिज किया जा सकता है। खारिज कर दिए जाने की स्थिति में, आवश्यक निराकरण हेतु दस्तावेज ग्राहक के पास वापस भेज दिए जाएंगे जिसके बाद अ-भौतिकीकरण के उद्देश्य से निवेदन को पुनः प्रस्तुत करना होगा।

शेयरों का पुनःभौतिकीकरण (री-मैटीरियलाइजेशन): जो प्रतिभूतियां इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई हैं और जिन्हें ग्राहक पुनः भौतिक स्वरूप में रखना चाहता है, उसके लिए शाखा के पास पुनःभौतिकीकरण का निवेदन करना होगा। ग्राहक द्वारा डीमैट एकाउंट में केवल फ्री बैलेंस होल्डिंग्स को भौतिक रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। निर्धारित प्रपत्र के अनुसार ग्राहक को पुनःभौतिकीकरण के लिए शाखा के पास निवेदन करना होगा। डीमैट एकाउंट के सभी खाता-धारकों के हस्ताक्षर और डीमैट एकाउंट में उपलब्ध फ्री होल्डिंग्स इत्यादि सहित आवेदन पत्र में उल्लिखित विवरणों का शाखा द्वारा सत्यापन किया जाएगा। यदि निवेदन हर तरह से ठीक पाया गया तो शाखा उस निवेदन को अपने सिस्टम में कैप्चर कर लेती है और आगे की प्रक्रिया के लिए उसे केंद्रीकृत डिपॉजिटरी ऑपरेशंस के पास भेज देती है। सम्बंधित RT/कम्पनी के पास भेजा गया निवेदन प्रक्रिया में रखा जा सकता है या उसे खारिज किया जा सकता है। खारिज कर दिए जाने की स्थिति में, आवश्यक निराकरण हेतु दस्तावेज ग्राहक के पास वापस भेज दिए जाएंगे।

व्यापारों का निपटान: स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से शेयरों के विक्रय के लिए, ग्राहक को SEBI के निबंधित ब्रोकर (क्लीयरिंग मेंबर) के पास एक व्यापार खाता (ट्रेडिंग एकाउंट) खोलना होगा। ब्रोकर के माध्यम से शेयर के विक्रय के बाद, ग्राहक को T+2 दिवस के अन्दर शेयरों को अपने डीमैट खाते से उस ब्रोकर के पूल एकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। CM-BP ID (क्लीयरिंग मेंबर) के विवरणों, निपटान सेगमेंट, निपटान संख्या के विवरण इत्यादि सहित ग्राहक को डिलिवरी निर्देश पर्ची शाखा के पास जमा करना होता है। डिलिवरी निर्देश पर्ची पर शेयरों के विवरण और विक्रय की गई संख्या का भी उल्लेख करना होता है। ऐसे व्यापार को ऑन-मार्केट ट्रेड कहा जाता है जिसमें व्यापार का निपटान सम्बंधित स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से किया जाता है। इसी तरह, यदि एक ही डिपॉजिटरी के अंतर्गत ग्राहक एक डीमैट एकाउंट से दूसरे डीमैट एकाउंट में अंतरण (ट्रांसफर) करना चाहता हो जिसमें निपटान की कोई बाध्यता लागू नहीं होती तो उसे ऑफ-मार्केट ट्रेड कहते हैं।

अंतर-डिपॉजिटरी निर्देशों के मामले में जिसमें शेयर एक डिपॉजिटरी के डीमैट एकाउंट से किसी दूसरे डिपॉजिटरी के डीमैट एकाउंट में अंतरित होते हैं, उसे इंटर-डिपॉजिटरी ट्रेड कहा जाता है।

अच्छी तरह भरी हुई निर्देश पर्ची प्राप्त कर लेने के बाद, शाखा उस निर्देश पर्ची पर अंकित सभी प्रासंगिक विवरणों का सत्यापन करती है और यदि उन्हें हर तरह से ठीक और पूर्ण पाया जाता है तो उसे सिस्टम में कार्य-संपादित कर दिया जाता है। खारिज किए जाने की स्थिति में, सुधार के लिए तुरंत सूचित कर दिया जाता है।

नामांकन

अपने डीमैट एकाउंट में निर्धारित नामांकन पत्र भरकर ग्राहक किसी भी व्यक्ति के पक्ष में नामांकन कर सकता है। नामांकन पत्र भरकर उसे शाखा के पास जमा करने की सरल प्रक्रिया के माध्यम से नामांकन को कभी भी परिवर्तित किया या हटाया जा सकता है। डीमैट खाता-धारक के निधन की स्थिति में, शेयर उस नामांकित के पक्ष में अंतरित कर दिए जाएंगे जिसका नाम मृत्यु-पूर्व दर्ज किया गया था। सलाह दी जाती है कि डीमैट एकाउंट में नामांकन जरूर किया जाए।

संचारण (ट्रांसमिशन)

यदि मृतक व्यक्ति साझा खाता-धारकों में से एक था / थी तो उत्तरजीवित खाता-धारकों को निर्धारित ट्रांसमिशन फॉर्म भरकर बैंक से निवेदन करना होगा और उसके साथ ही नोटरीकृत मृत्यु प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा ताकि मृतक व्यक्ति के खाते में शेष प्रतिभूतियों को उत्तरजीवी खाता-धारकों के खाते में संचारित किया जा सके। इस उद्देश्य के लिए, जरूरी है कि उत्तरजीवी खाता-धारक / कों के पास डिपॉजिटरी एकाउंट हो जो कि उसी DP या उस डिपॉजिटरी या अन्य डिपॉजिटरी के अंतर्गत किसी अन्य DP में हो सकता है।

एकल खाता-धारक की मृत्यु की स्थिति में, मृतक व्यक्ति का / के कानूनी उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधि(यों) को चाहिए कि वे बैंक से मिलकर मृतक के डीमैट खाते में शेष को कानूनी उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधि(यों) के खाते में स्थानांतरित करने के लिए निवेदन करें। इसके लिए सम्बंधित दस्तावेज़ जमा करने होंगे।

अन्य कार्यकलाप: अन्य कार्यों में शामिल हैं डीमैट एकाउंट खोलने के बाद उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए पते या बैंक सम्बंधी विवरणों, हस्ताक्षर, नामांकन, इत्यादि को अद्यतन करना। ग्राहक को निर्धारित प्रपत्र में बैंक की शाखा के पास अद्यतन किए जाने सम्बंधी वांछित निवेदन करना चाहिए। डीमैट एकाउंट में सफलतापूर्वक अद्यतन कर दिए जाने के बाद, बैंक ग्राहक को समुचित संपुष्टि भेज देगा।

कॉपीराइट कोटक महिन्द्रा ग्रुप। सभी अधिकार सुरक्षित।